में

15/10/25

आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी
अनवान प्रकरण मोहन आदि बनाम गीता देवी आदि
वाद पत्र धारा 251—क आरटीए

प्रकरण में प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकरण से है कि अनवान सदर का प्रकरण श्रीमान् के समक्ष विचाराधिन है। उक्त अनवान सदर के प्रकरण न्यायालय में जैरकार था। जिसमें नियम दिनांक 20.03.2025 थी उक्त अनवान के प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा नियत दिनांक को प्रार्थीगण व अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को आने के लिए बोला था हम घर के कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थिति नही हो सके। प्रार्थीगण अधिवक्ता भी स्वास्थ्य खराब होने के कारण न्यायालय द्वारा जब आवाज लगाई गई तब उपस्थित नही हो संके। प्रार्थीगण के उक्त अनवान के प्रार्थना पत्र में अनुपस्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अदम हाजिर व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण को इसकी जानकारी अपने अधिवक्ता को जरिये फोन अपने उक्त अनवान की पत्रावली में तारीख पता करने के लिए फोन किया तो प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बताया कि उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया। प्रार्थीगण को उक्त अनवान के प्रार्थना पत्र में अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज होने का ज्ञान होते ही प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को बहाल करवाने के लिए प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी देरी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थीगण नेक नियत है व सदभावी है व बिना किसी देरी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अनवान के प्रार्थना पत्र को बहाल कर पुनः उसी नम्बर पर लिया जावे।बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई बहस पर मनन किया गया प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही है। प्रकरण दर्ज दिनांक 05.0[illegible] से अप्रार्थीगण की तलबी पर जैरकार है अधिवक्ता प्रार्थी की प्रकरण में उदासीनता के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है इस लिए प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:33:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा